मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

षष्टम प्रतिवेदन

(जुलाई, 2019 सत्र, भाग –1)

(यह प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति कल्याण, आयुष, ऊर्जा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार, नर्मदा घाटी विकास तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के आश्वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2025 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम:-	
	(1) अनुसूचित जाति कल्याण	(1)
	(2) आयुष	(3)
	(3) ऊर्जा	(6)
	(4) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	(43)
	(5) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार	(44)
	(6) नर्मदा घाटी विकास	(52)
	(7) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	(57)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक .
5.	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्रीमती मुक्ता दीक्षित	- -	सहायक ग्रेड-2

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **षष्टम प्रतिवेदन (जुलाई 2019 सत्र भाग-1)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त , 2024 को गठित की गई है ।

- इस प्रतिवेदन में, **जुलाई 2019 सत्र (भाग-1)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है ।

- समिति की बैठक **दिनांक 17.03.2025** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया ।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है ।

- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया ।

- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया ।

स्थान : भोपाल

दिनांक : **17.03.2025**

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	**25, 520**
2.	आयुष विभाग	**169, 170, 772, 773**
3.	उर्जा	**223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 622**
4.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	**129**
5.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	**131, 132, 348, 349, 350, 713, 714, 715, 716**
6.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	**324, 684, 685, 686, 687**
7.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	**240**

जुलाई, 2019 सत्र

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सरल क्रमांक	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**250**	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1432) दिनांक: 12/07/2019 (श्री गोपाल भार्गव,)	सागर जिले के विधान सभा क्षेत्र रहली के गढ़ाकोटा नगर में स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।	(1) जनवरी 2019 से शुरू हो गया है और आने वाले 6 माह के अंदर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। (2) माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ कि 6 माह के अन्दर, आपके ये भवन बनकर कम्पलीट हो जाएंगे।	निर्माणाधीन 03 भवनों में से 02 भवन पूर्ण हो गये हैं तथा एक भवन का निर्माण प्रगति पर है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। **विभागीय जानकारी दिनांक 14/02/2020** **अद्यतन** सहायक आयुक्त, आजाक, सागर के पत्र दिनांक 11.12.2020 एवं लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. सागर के पत्र क्रमांक 3136 दिनांक 2.11.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि 03 सामुदायिक भवन, गढाकोटा का निर्माण कार्य दिनांक 20.6.2020 को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय जानकारी दिनांक 08/01/2021**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2)	**520**	अतारांकित प्रश्न सं.132 (प्रश्न क्रं.2883) दिनांक: 19/07/2019 (श्री इन्दर सिंह परमार,)	जिला शाजापुर अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को पंपों के ऊर्जीकरण योजना का लाभ प्रदान किया जाना।	शेष 17 किसानों को वर्ष 2019-20 में प्राप्त होने वाले आवंटन की सीमा में लाभांवित किया जायेगा।	जिला शाजापुर को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कलेक्टर, शाजापुर के आदेश क्रमांक आजाक/विद्युतिकरण/2019-20/3199-3200 दिनांक 26.11.2019 द्वारा 17 कृषकों के सिंचाई स्त्रोत तक विद्युत लाईन विस्तार किये जाने हेतु अधीक्षण यंत्री से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 52.08 लाख जिला संयोजक, शाजापुर के आदेश क्रमांक आजाक /विद्युतिकरण / 2019-20 / 3206 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार उक्त राशि अधीक्षण यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.शाजापुर को प्रदाय की गई है। **विभागीय जानकारी दिनांक** | 12/12/2019	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

आयुष विभाग

सरल क्रमांक	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	169	अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्र.369) दिनांक: 10/07/2019 (श्री महेश राय)	श्री अवतार सिंह यादव, शासकीय आयुष चिकित्सक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आगासोद द्वारा संचालित क्लीनिक को बंद कर दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	संचालित क्लीनिक बंद करने के निर्देश जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ।	डॉ. अवतार सिंह यादव संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर को विभागीय पत्र दिनांक 28-06-19 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर एवं समक्ष सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-12-19 को प्रकरण समाप्त किया गया है सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की छायाप्रति संलग्न है . **विभागीय जानकारी दिनांक 08/01/2020**	**कोई टिप्पणी नहीं.**
2.	170	अतारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्र.784) दिनांक: 10/07/2019 (श्री आरिफ मसूद,)	आयुष विभाग में वरिष्ठता क्रमानुसार पदोन्नति होने तक रिक्त पदों पर प्रभार दिया जाना।	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 4/1/1996 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	विभाग में पदोन्नति होने तक रिक्त पदों का चालू प्रभार दिये जाने के बारे में यथासंभव सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 04.11.1996 अनुसार ही वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए प्रभार दिया जा रहा है। **विभागीय जानकारी दिनांक 06/07/2020** **अद्यतन** विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों का प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिया जा रहा है। **विभागीय जानकारी दिनांक 09/11/2021**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	772	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.3723) दिनांक: 24/07/2019 (श्री केदारनाथ शुक्ल,)	प्रदेश में संचालित शासकीय आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की पद पूर्ति की जाना।	पद पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश में संचालित शासकीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 13/03/2020** **अद्यतन** 1. आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को अगस्त 2021 में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 2. म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रकिया कार्यवाही पूरी होने में सामान्यतः 1 से डेढ़ वर्ष लगता है। 3. पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। 4. विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समस्त आवश्यक कार्यावाही की जा चुकी है, **विभागीय जानकारी दिनांक 16/12/2021** **अद्यतन** विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित मांग पत्र अनुसार दिनांक 28/12/2021 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 2. पद पूर्ति सतत प्रक्रिया है। 3. विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय जानकारी दिनांक 08/02/2022**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	773	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.4222) दिनांक: 24/07/2019 (श्री हरिशंकर खटीक,)	(1) जिलों में संचालित आयुष /चिकित्सालय में पदस्थ दाई/महिला कार्यकर्ताओं को एक समान वेतन दिया जाना । (2)विभाग में कार्यरत कम्पाउंडरों को नियुक्ति दिनांक से नियमित किया जाना ।	(1) मांग संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	(1) एक समान वेतनमान दिया जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं इनके नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी केवल एक ही बार के लिए 10 वर्षो या अधिक से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियों (Irregular appointments) को (अवैधानिक नियुक्तियों (Illegal appointments) को नहीं) नियमित करने की कार्यवाही की जाना चाहिए। न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार के नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। उक्त के परिपेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक से नियमित किया जाना संभव नहीं है । **विभागीय जानकारी दिनांक 13/03/2020** **अद्यतन** 1.दाई/महिला कार्यकर्ताओं को एक समान वेतन दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा आदेश क्र 1184/2020/1/59 दिनांक 08.07.2020 को जारी किये गये। 2.म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्र. एफ-05-03/2006/1/3, दिनांक 16 मई 2007 द्वारा निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्त दिनांक से नियमित नहीं किया जा सकता. **विभागीय जानकारी दिनांक। 17/11/2021**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

ऊर्जा विभाग

सरल क्रमांक	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	223	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.901) दिनांक: 11/07/2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह,)	प्रदेश में किसानों को श्री फेज विद्युत प्रदाय में करने संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना।	इस हेतु सरकार अभी परीक्षण करवा रही है और जल्द ही सरकार इसमें नीतिगत निर्णय लेगी।	आश्वासन की मंशा के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में कृषि कार्य हेतु कृषि फीडरों को दो समूहों में विभक्त कर पाक्षिक आधार पर दिन के समय 10 घंटे 3 फेज पर विद्युत प्रदाय किये जाने सहित, तकनीकी कारणों व कृषि क्षेत्र की आवश्यकता के दृष्टिगत विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जिसका विवरण प्रपत्र अनुसार है। विभागीय जानकारी दिनांक 23/10/2019	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	224	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.825) दिनांक: 11/07/2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया,)	प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा आउट सोर्स के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा अप्रशिक्षित लोगों से कार्य एवं इन्दौर और उज्जैन संभाग में 386 लोगों की मृत्यु की जॉंच कराई जाना।	(1) मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और इसकी जांच भी कराऊंगा। (2) मैंने जांच के आदेश दिये हैं. जांच पूर्ण होने पर वह तथ्य भी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराऊंगा।	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., इंदौर क्षेत्रान्तर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग में आउट सोर्स के अंतर्गत ठेकेदारो द्वारा अप्रशिक्षित लोगों से कार्य कराए जाने तथा इंदौर एवं उज्जैन संभाग में विद्युत दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रकरणों की जॉंच हेतु म.प्र.पश्चिम क्षेत्र .वि.वि.कं.लि., इंदौर के आदेश क्रमांक 18765 दिनांक 01.10.2019 द्वारा उज्जैन क्षेत्र हेतु श्री आर.सी. जैन, अधीक्षण यंत्री (कार्य.) कार्यालय मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) उज्जैन को एवं इंदौर क्षेत्र हेतु श्री बी.एल. चौहान अधीक्षण यंत्री (कार्य) कार्यालय कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) इंदौर को नियुक्त किया गया है। उक्त जॉंच 01 माह में पूर्ण कर जॉंच प्रतिवेदन अपने अभिमत के साथ संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु उक्त जॉंचकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जॉंचोपरांत प्रकरण में कार्यवाही कर आश्वासित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 21/10/2019</u>** **<u>अद्यतन</u>** म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभागों में आश्वासन की मंशा के अनुरूप जॉंच कराए जाने हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा इन्दौर क्षेत्र हेतु श्री बी.एल.चौहान, अधीक्षण यंत्री (कार्य) कार्यालय कार्यपालक निदेशक (इन्दौर क्षेत्र) एवं उज्जैन क्षेत्र हेतु श्री आर.सी.जैन, अधीक्षण यंत्री (कार्य)कार्यालय मुख्य अभियंता (उज्जैन क्षेत्र) उज्जैन को नियुक्त किया गया है। नियोजन दिनांक से माह सितम्बर	कोई टिप्पणी नहीं.

					2019 तक इन्दौर एवं उज्जैन राजस्व संभागों में क्रमश: 73 एवं 39 आऊटसोर्स कार्मिकों की मृत्यु के प्रकरणों में से क्रमश: 10 एवं 39 प्रकरणों की जाँच की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । उक्त जाँच पूर्ण प्रकरणों में से उज्जैन क्षेत्र के 3 प्रकरणों में राशि का भुगतान किया गया है। एक प्रकरण में मृतक की पत्नी द्वारा श्रम न्यायालय में वाद दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत चेक क्रमांक 877089 दिनांक 29.07.2019 से राशि रू. 4,84,653/- न्यायालय में भुगतान हेतु जमा की गई है। दूसरे प्रकरण में मृतक को उसकी कंपनी मेसर्स प्राइमवन कंपनी भोपाल द्वारा कराये गये बीमे से राशि रू. 4.00 लाख का भुगतान किया गया है। तीसरे प्रकरण में श्रीमती भूरी बाई को क्षतिपूर्ति की राशि रू. 2.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 929050 दिनांक 10.05.2016 से किया गया, जिसका समायोजन मेसर्स वर्ल्ड क्लास इंदौर के देयकों से किया गया। श्रीमती भूरी बाई द्वारा श्रम न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 10 डब्ल्यू सीएफ 2016 द्वारा राशि रू. 9.00 लाख का क्षतिपूर्ति का केस दर्ज करवाया गया है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। शेष जाँच कार्यवाही दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 26/02/2020</u>** **<u>अद्यतन</u>** आऊटसोर्स कार्मिकों की मृत्यु के इन्दौर राजस्व संभाग के समस्त 73 प्रकरणों तथा उज्जैन राजस्व संभाग के समस्त 39 प्रकरणों में जांच कार्यवाही दिनांक 26.08.2020 को पूर्ण की जा चुकी है। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	

					द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प्रनि/पक्षे/ 01/ क.अ./430 दिनांक 01.08.2018 अनुसार विद्युत दुर्घटनाओं में आऊटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों को बाहरी व्यक्ति मानकर कार्य के दौरान अपरिहार्य विद्युत दुर्घटना से प्रभावित होने पर उन्हें भी विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समान आर्थिक सहायता अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। तदानुसार उक्त जाँच पूर्ण प्रकरणों में से उज्जैन क्षेत्र में 39 आऊटसोर्स कार्मिकों में से 08 कार्मिकों के प्रकरण आर्थिक सहायता अनुदान राशि हेतु नियमानुसार पात्र पाये गये। उक्त 8 प्रकरणों में से 07 कार्मिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि दी गई एवं 01 पात्र कार्मिक के परिजनों द्वारा दायर प्रकरण, वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है साथ ही 01 अपात्र कार्मिक के परिजन को न्यायालय के आदेशानुसार सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई । शेष 30 कार्मिकों के प्रकरण आर्थिक सहायता अनुदान राशि हेतु नियमानुसार अपात्र पाये गये। इंदौर क्षेत्रांतर्गत कुल 73 प्रकरणों में से 17 कार्मिकों के प्रकरण आर्थिक सहायता अनुदान राशि हेतु नियमानुसार पात्र पाये गये । उक्त 17 प्रकरणों में से 15 प्रकरणों में नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष 02 प्रकरणों में से, 1 प्रकरण में बार-बार पत्राचार करने के उपरांत भी मृतक आऊटसोर्स कार्मिक के परिजनों द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है एवं 1 अन्य प्रकरण में मृतक आऊटसोर्स कार्मिक का कोई वारिस नहीं होने के कारण आर्थिक सहायता राशि दिया जाना संभव नहीं है। इन 73 प्रकरणों में से 56 प्रकरण आर्थिक सहायता अनुदान राशि हेतु	

					नियमानुसार अपात्र पाये गये। प्रकरण में जॉंच कार्यवाही दिनांक 26.08.2020 को पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को अनुदान की राशि प्रदान करने की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में जॉंच/कार्यवाही पूर्ण होने तक राजनैतिक पटल पर हुए बदलाव के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री गोपाल भार्गव जी जो कि वर्तमान सरकार में माननीय मंत्री है, को उक्त जॉंच पूर्णता की जानकारी दिया जाना व्यवहारिक नहीं है। साथ ही उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मृतक आऊटसोर्स कार्मिकों के कुल पात्र 25 प्रकरणों में से 22 प्रकरणों में नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। शेष 3 प्रकरणों में से 1 प्रकरण न्यायालयीन होने, **1** प्रकरण में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं 1 प्रकरण में कोई वारिस नहीं होने के कारण वर्तमान में कोई अन्य कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **विभागीय जानकारी दिनांक 27/07/2022**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	225	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1028) दिनांक: 11/07/2019 (श्री राकेश गिरि,)	टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जाँच की जा रही है। (2) जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव होगा।	सहायक अभियंता (संचा.-संधा.), टीकमगढ़ के कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत दिनांक 10.08.2018 को हुई विद्युत दुर्घटना में श्रमिक स्व. श्री घनश्याम वल्द श्री फुंदी अहिरवार, आउट सोर्स कर्मचारी (साईसन कंपनी) ग्राम माडूमर को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियमानुसार रू.4 लाख की राशि का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कर्मचारी श्री बाल किशन रैकवार, वरिष्ठ लाईन सहायक (लाईन इंस्पेक्टर) का स्थानांतर कर उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया तथा वर्तमान में विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। **विभागीय जानाकरी दिनांक 24/09/2019** **अद्यतन** सहायक अभियंता (संचालन एवं संधारण) टीकमगढ़ के कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10.08.2018 को घटित घातक विद्युत दुर्घटना की जाँच में जाँच निष्कर्ष प्रतिवेदन के अनुसार श्री बाल किशन रैकवार, वरिष्ठ लाईन सहायक (लाईन इंस्पेक्टर) को दोषी पाया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 06.09.2019 को चालान पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय, सी.जे.एम. टीकमगढ़ के समक्ष विचाराधीन होने से दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक आदेश जारी नहीं किया जा सका है। **विभागीय जानकारी दिनांक 22/06/2020**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	226	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.1062) दिनांक: 11/07/2019 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में ट्रांसफार्मर वितरण में विलंब के दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की जाना ।	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है ।	महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के कार्य में विलंब/अनियमितता के दोषी 3 अधिकारियों - 1. श्री सुदर्शन जटाले, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, एसटीसी-शहर संभाग उज्जैन, 2. श्री संदीप कालरा, कार्यपालन यंत्री, एसटीसी-संचालन-संधारण संभाग उज्जैन एवं 3. श्री ज्ञानेन्द्र गौड, सहायक यंत्री, एसटीसी शहर उपसंभाग उज्जैन को कारण बताओ सूचना पत्र/आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 23/10/2019</u>** **<u>अद्यतन</u>** माहिदपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना में विलंब के दोषी 3 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल पॉच प्रकरणों में जॉच कार्यवाही की जा रही है. **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 29/08/2020</u>** **<u>अद्यतन</u>** माहिदपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना में विलंब के दोषी 3 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल पॉच प्रकरणों में जॉच कार्यवाही की जा रही है, जिनमें से 3 प्रकरण में जांच कार्यवाही पूर्ण कर आदेश जारी किये जा चुके है। शेष 2 प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 21/01/2021</u>** **<u>अद्यतन</u>** महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना में विलंब के लिये दोषी 3	कोई टिप्पणी नहीं.

					अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल पॉच प्रकरणों में की जा रही जांच कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं दोषी पाए गए कार्मिको के विरूद्ध नियमानुसार शास्ति अधिरोपित की गई है । उक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **विभागीय जानकारी दिनांक 06/12/2022**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	227	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.1092) दिनांक: 11/07/2019 (श्री पाँचीलाल मेड़ा,)	धार जिले के विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी के ग्राम नालछा में लगाये गये पोल की गुणवत्ता की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	आवश्यक सुधार कार्य सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया।	धार जिले के विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी के विकासखण्ड नालछा के ग्राम पाटडी में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र पाटडी हेतु निर्माणाधीन 33 के.व्ही. लाईन के 05 पोल तेज आंधी तूफान में दिनांक 16.04.2019 को गिर गये थे। उक्त कार्य कर रही ठेकेदार एजेंसी मेसर्स यूबीटेक फरीदाबाद द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन का कार्य दिनांक 20.04.2019 को ही निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पूर्ण करवा लिया गया था। **विभागीय जानकारी दिनांक 14/10/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**228**	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.251) दिनांक: 11/07/2019 (श्री ठाकुर दास नागवंशी,)	प्रदेश में कृषि उपयोग हेतु कृषकों को मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना के तहत पंजीयन नहीं किया जाना।	स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने हेतु नवीन योजना का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।	प्रदेश में कृषि उपयोग हेतु स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना के स्थान पर नवीन योजना के प्रस्ताव पर राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। **विभागीय जानकारी दिनांक 28/09/2019** **अद्यतन** राज्य शासन द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2019 को लिये गये निर्णय के अनुसार "मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना" अंतर्गत कृषकों से माह मार्च 2019 तक प्राप्त आवेदनों के कार्य पूर्ण कराये जाने हैं एवं तदुपरांत कृषि पंपों की स्थापना हेतु नवीन "मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना" लागू की गई है। उक्त नवीन योजना के अंतर्गत 7.5 अश्वशक्ति क्षमता तक के पंप हेतु कृषक द्वारा आंशिक राशि जमा करने एवं शेष राशि राज्य/केन्द्र शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है, विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन द्वारा किया जायेगा। **विभागीय जानकारी दिनांक 19/02/2020**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	**229**	अतारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.710) दिनांक: 11/07/2019 (श्री जालम सिंह पटैल,)	नरसिंहपुर, सागर एवं छतरपुर जिलों में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर झूठे प्रकरणों को चिन्हित कर वापस किया जाना।	प्रकरणों को चिन्हित कर वापिस किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नरसिंहपुर, सागर एवं छतरपुर जिलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत दायर समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की दिनांक 15.09.2019 तक समीक्षा कर ली गई है, जिसमें कोई भी प्रकरण गलत/झूठा नहीं पाया गया। अत: तत्संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है. **विभागीय जानकारी दिनांक 16/10/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**230**	अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.804) दिनांक: 11/07/2019 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर,)	नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 33/11 के0 व्ही0 के एक नवीन विद्युत उपकेन्द्र का शेष कार्य पूर्ण कराया जाना।	नवीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य शेष है, जो कि वर्तमान में प्रगति पर है।	नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र फर्नाखेडी का कार्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (A.K.V.N) के द्वारा किया जा रहा है। उक्त नवीन विद्युत उपकेन्द्र हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार सुपरविजन चार्ज की राशि रू. 18,97,855/- एवं जीएसटी राशि रू. 3,41,614/- इस प्रकार कुल राशि रू. 22,39,469/- दिनांक 31.12.2018 को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करा दी गई है। कार्य प्रगति पर है एवं उक्त कार्य माह मार्च-2020 तक पूर्ण होने की संभावना है अद्यतन **विभागीय जानकारी दिनांक 18/10/2019** नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र फर्नाखेड़ी का कार्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में नियमानुसार सुपरविजन चार्ज एवं जी.एस.टी. की राशि जमा कर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 85% कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है जिसे जुलाई-2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। अद्यतन **विभागीय जानकारी दिनांक 22/06/2020** नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र फर्नाखेड़ी का कार्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में नियमानुसार सुपरविजन चार्ज एवं जी.एस.टी. की राशि जमा कर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा किया जा	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					रहा है। वर्तमान में 90% कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है जिसे दिसम्बर-2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है. **विभागीय जानकारी दिनांक 05/12/2020**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	231	अतारांकित प्रश्न सं.43 (प्रश्न क्रं.833) दिनांक: 11/07/2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल,)	सहायक अभियंता (संधारण) शहर संभाग कटनी द्वारा नियम विरूद्ध अवैध कार्यो से शासन/कंपनी को करोड़ों रूपये की क्षति पहुंचाने एवं असत्य उत्तर प्रस्तुत करने वाले दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	विभागीय जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री पी.के.मिश्रा, अधीक्षण अभियंता कटनी को मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) जबलपुर के पत्र दिनांक 22.06.2019 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। जारी आरोप पत्र का जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। विभागीय जांच हेतु दिनांक 05.09.2019, 24.09.2019 एवं 17.10.2019 को श्री मिश्रा को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु श्री मिश्रा उपस्थित नहीं हुये हैं। तदोपरान्त पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री मोहन कुमार सिंह, सहायक अभियंता, नोडल अधिकारी (दी.द.उपा. ग्रा.ज्यो. योजना) को मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र) द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2019 से आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है श्री शेख अकील, कनिष्ठ अभियंता, खिरहनी वितरण केन्द्र को कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग, कटनी द्वारा पत्र दिनांक 02.02.2019 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका प्रति उत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शेख अकील, कनिष्ठ अभियंता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है तथा उनके स्वस्थ होकर कर्त्तव्य पर उपस्थित होते ही उनके प्रकरण पर कार्यवाही कर अंतिम निर्णय से अवगत करा दिया जावेगा। **विभागीय जानकारी दिनांक 23/10/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					कटनी जिले के बजरंग नगर में विद्युतीकरण के कार्यों की सूक्ष्मता से जांच नहीं कर कर्त्तव्य निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जांचोंपरान्त दोषी पाए गए कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :- (i) **श्री शेख अकील, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता** :- कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग, कटनी के आदेश दिनांक 21.11.2019 से श्री शेख अकील, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त जानकारी पूर्व में विभाग के पत्र क्रमांक-1743 दिनांक 24.02.2020 से प्रेषित की जा चुकी है । (ii) **श्री मोहन कुमार सिंह, सहायक अभियंता** :-मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) के आदेश क्र.-1614 दिनांक 12.03.2020 से श्री मोहन कुमार सिंह, सहायक अभियंता/नोडल अधिकारी (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त जानकारी पूर्व में विभाग के पत्र क्र. 3890 दिनांक 26.06.2020 से प्रेषित की जा चुकी है । (iii) **श्री पी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता** :-मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.) जबलपुर के आदेश दिनांक 23.12.2020 द्वारा श्री पी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता की आगामी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई है । **अद्यतन** **विभागीय जानकारी दिनांक 13/06/2022** कटनी जिले के बजरंग नगर में विद्युतीकरण के	

					कार्यों की सूक्ष्मता से जांच नहीं कर कर्त्तव्य निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जांचोंपरान्त दोषी पाए गए कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-(i) **श्री शेख अकील, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता** :- कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग, कटनी के आदेश दिनांक 21.11.2019 से श्री शेख अकील, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है। (ii) **श्री मोहन कुमार सिंह, सहायक अभियंता** :-मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) के आदेश क्र.-1614 दिनांक 12.03.2020 से श्री मोहन कुमार सिंह, सहायक अभियंता/नोडल अधिकारी (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड पारित किया गया है। (iii) **श्री पी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता** मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.) जबलपुर के आदेश दिनांक 23.12.2020 द्वारा श्री पी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता की आगामी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई है। **विभागीय जानकारी दिनांक 30/11/2022**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	**232**	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.864) दिनांक: 11/07/2019 (श्री उमाकांत शर्मा,)	विदिशा जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामों/मजरों/टोलों में विद्युत लाईनों का सुधार कार्य कराया जाना।	विद्युत लाईनों के सुधार का कार्य 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।	सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्डों के अन्तर्गत 22 ग्रामों/मजरों/ टोलों की विद्युत लाईनों के सुधार कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों का विद्युत प्रदाय वैकल्पिक व्यवस्था कर चालू है। **विभागीय जानकारी दिनांक 23/10/2019** **अद्यतन** विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्डों के अन्तर्गत शेष बचे 22 ग्रामों/मजरों/टोलों की विद्युत लाईनों के सुधार कार्य दिनांक 15.11.2020 तक पूर्ण कर दिये गये हैं। **विभागीय जानकारी दिनांक 19/02/2021**	**कोई टिप्पणी नहीं.**
11.	**483**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.1893) दिनांक: 18/07/2019 (श्री मुन्नालाल गोयल,)	ग्वालियर शहर में विद्युत पोलों पर फायबर आप्टिकल केबल डालने हेतु जियो कंपनी से अनुबंध किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	ग्वालियर शहर में विद्युत पोलों पर फायबर आप्टिकल केबल डालने हेतु म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से महाप्रबंधक शहर वृत्त ग्वालियर एवं जियो डिजीटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्टेट कोआर्डिनेटर द्वारा दिनांक 25.10.2019 को अनुबंध निष्पादित कर लिया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 25/11/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	**484**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1894) दिनांक: 18/07/2019 (श्री मुन्नालाल गोयल,)	(1) शहर वृत्त ग्वालियर में बिजली पोलों पर फायबर केबल एवं डिस्ट्रिब्यूशन बाक्स लगाने की अनुमति दिया जाना। (2) शहर वृत्त ग्वालियर जियो कंपनी द्वारा 7000 पोलों का उपयोग करने हेतु अनुमति दिया जाना।	(1) फायबर केबल एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने की अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) अनुमति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	महाप्रबंधक (शहर वृत्त) ग्वालियर के पत्र क्रमांक 4958-59, दिनांक 20.09.2019 द्वारा मेसर्स जियो डिजिटल फायबर प्रा.लि. को ग्वालियर शहर में वर्ष 2019-20 हेतु फायबर केबल एवं डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स लगाने हेतु आवश्यकतानुसार 7000 पोलों का उपयोग करने संबंधी अनुमति जारी की गई है। **विभागीय जानकारी दिनांक 25/11/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	**485**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्रं.2370) दिनांक: 18/07/2019 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी,)	विधान सभा क्षेत्र भीकनगांव अंतर्गत फाल्यों का विद्युतीकरण किया जाना।	विद्युतीकरण कार्य हेतु वन विभाग से स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 724 फाल्यों/बसाहटों को सघन विद्युतीकरण के कार्य हेतु चिन्हित किया गया था जिसमें से 632 फाल्यों/बसाहटों का सघन विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 39 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे 31 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। शेष 53 फाल्यों/बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु वन विभाग से स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वन विभाग की स्वीकृति उपरान्त इन 53 फाल्यों/बसाहटों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना संभव हो सकेगा। **अद्यतन** **विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 724 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण हेतु चिन्हित कार्यों में से 648 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 53 फाल्यों/बसाहटों में वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। शेष 23 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **विभागीय जानकारी दिनांक 24/02/2020** **अद्यतन** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 724 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण हेतु चिन्हित कार्यों में से 671 फाल्यों/बसाहटों के सघन विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 15.07.2020 तक	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					पूर्ण कर लिया गया है तथा 53 फाल्यों/बसाहटों में वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं. **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2020</u>**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	**486**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.2655) दिनांक: 18/07/2019 (श्री कुँवर सिंह टेकाम,)	जिला सीधी व सिंगरौली अंतर्गत सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण से रहित घरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन दिया जाना।	दिनांक 31.07.2019 तक कार्य पूर्ण कर कनेक्शन दे दिया जायेगा।	जिला सिंगरौली में 345 एवं जिला सीधी में 617 घरों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष था। उक्त विद्युतीकरण कार्य को क्रमश: दिनांक 31.07.2019 एवं दिनांक 12.10.2019 को पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 25/11/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	**487**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.119 (प्रश्न क्रं.2951) दिनांक: 18/07/2019 (श्री प्रवीण पाठक,)	(1) ग्वालियर क्षेत्रीय भण्डार के अंतर्गत हुई अनियमितता से कंपनी को हुई क्षति का आंकलन किया जाना। (2) ग्वालियर क्षेत्रीय भण्डार के अंतर्गत हुई अनियमितता के लिए ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनी की जांच कर निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) आंकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) जांच निष्कर्ष उपरांत कार्यवाही की जावेगी।	(1)क्षति के आंकलन हेतु समिति का गठन आदेश क्रमांक 1220-21 दिनांक 14.11.19 से कर दिया गया है। समिति द्वारा क्षति के आंकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (1) उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत जांच कर यथोचित कार्यवाही संपादित की गई है। (2) ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही, क्षति के आंकलन हेतु गठित समिति के जॉच निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरांत की जा सकेगी। **विभागीय जानकारी दिनांक 28/11/2019** **अद्यतन** (1) क्षति के आंकलन हेतु समिति का गठन म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दिनांक 14.11.19 से किया गया था। समिति द्वारा जांच कर अवगत कराया है कि शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना कर ट्रांसफार्मरों की सेम्पलिंग में हुई अनियमितता के कारण वितरण कंपनी को राशि रू. 9,31,798/- की क्षति होना आंकलित किया गया है। साथ ही ट्रांसफार्मर विक्रेता फर्मों द्वारा कार्यादेशों की शर्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रदाय नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में पेनल्टी स्वरूप रु. 11,46,562 /- (मेसर्स ट्राफो पावर एण्ड इलेक्ट्रिकल प्रा. लिमि., आगरा से राशि रू. 3,84,680/-, मेसर्स श्री राम ट्रांसफार्मर प्रा. लिमि., मेरठ से राशि रू. 6,37,200/- एवं मेसर्स ओसवाल ट्रांसफार्मर प्रा. लिमि., जयपुर से राशि रू. 1,24,682/-) की राशि वसूल की जाना है। उक्त राशि की वसूली हेतु महाप्रबंधक, क्षेत्रीय भंडार ग्वालियर द्वारा संबंधित फर्मों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है एवं	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					मेसर्स ओसवाल ट्रांसफार्मर प्रा.लिमि. जयपुर (राजस्थान) द्वारा प्रदाय किये गये ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं पाये जाने के कारण कंपनी के आदेश दिनांक 13.02.2020 के द्वारा उक्त फर्म को 3 वर्ष के लिये डीबार (Debar) कर दिया गया है। (2) उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत जांच कर की गई/की जा रही कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :- (अ)- क्षेत्रीय भण्डार ग्वालियर में पदस्थ श्री अरुण शर्मा को उक्त प्रकरण में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 07.05.19 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के विरुद्ध श्री अरुण शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर जाँच समिति द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा श्री अरुण शर्मा के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित किये जाने की अनुशंसा की गई। तदुपरान्त म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 13.11.2019 से श्री अरुण शर्मा को आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र के विरूद्ध श्री अरूण शर्मा का प्रतिउत्तर दिनांक 14.02.2020, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में दिनांक 24.02.2020 को प्राप्त हुआ है। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश क्र. 16917-18 दिनांक 26.02.2020 के माध्यम से श्री बी.के. सिन्हा, महाप्रबंधक (भंडार) का जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री क्षितिज गौतम, उप महाप्रबंधक (भंडार), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुये प्रकरण में श्री अरूण कुमार शर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। (ब)- क्षेत्रीय भण्डार ग्वालियर में पदस्थ तत्कालीन महाप्रबंधक एवं वर्तमान में	

					महाप्रबंधक कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (भोपाल क्षेत्र) भोपाल में पदस्थ श्री अरुण वर्मा को उक्त प्रकरण में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 07.05.19 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के विरुद्ध श्री अरुण वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर जाँच समिति द्वारा परीक्षण उपरांत मान्य योग्य नहीं पाया गया तथा श्री अरुण वर्मा के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित किये जाने की अनुशंसा की गई। तदुपरान्त मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 13.11.2019 से आरोप पत्र जारी किया गया है। उक्त आरोप पत्र के विरुद्ध श्री वर्मा का प्रतिउत्तर दिनांक 02.12.2019 म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में दिनांक 17.12.2019 को प्राप्त हुआ है, जिसके परीक्षणोपरांत श्री वर्मा का प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया एवं म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश क्र. 16915-16 दिनांक 26.02.2020 के माध्यम से श्री ए.के. खत्री, उप मुख्य महाप्रबंधक (आई.टी.), कार्पोरेट कार्यालय, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री क्षितिज गौतम उप महाप्रबंधक (भंडार), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रकरण में श्री अरूण वर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच सस्थित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। (स)-रिसीप्ट सेक्शन में कार्यरत श्री राहुल गौड़ सहायक प्रबंधक के विरूद्ध एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश महाप्रबंधक (भण्ड़ार) के आदेश पत्र क्रमांक 86-87 दिनांक 23.05.19 द्वारा जारी कर दिया गया है एवं उनको सहायक प्रबंधक, वितरण केन्द्र, ग्रामीण दतिया के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। (द)-रिसीप्ट सेक्शन में पदस्थ श्री रोहित सेंगर, प्रबंधक (संविदा) को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण	

					कंपनी के पत्र दिनांक 28.09.2019 से संविदा की अवधि का विस्तार नहीं करते हुए कंपनी सेवा से पृथक कर दिया गया है। (य)-रिसीप्ट सेक्शन में कार्यरत श्री मनोज (केपीओ) को सेवाप्रदाता वर्ल्ड क्लास, सर्विस प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है। (र)-महाप्रबंधक (भण्डार), ग्वालियर द्वारा श्री मनोज कुमार (के.पी.ओ.) के विरूद्ध प्राथमिकी क्रमांक 110 दिनांक 18.03.2020 को थाना विश्वविद्यालय, जिला ग्वालियर में दर्ज करवा दी गई है. **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 29/06/2020</u>** **<u>अद्यतन</u>** म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत श्री मनोज कुमार (के.पी.ओ.) को सेवा प्रदाता मेसर्स वर्ल्ड क्लास, सर्विस प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया था एवं महाप्रबंधक (भण्डार), ग्वालियर द्वारा श्री मनोज कुमार (के.पी.ओ.) के विरूद्ध प्राथमिकी क्रमांक-110 दिनांक 18.03.2020 थाना विश्वविद्यालय, जिला ग्वालियर में दर्ज करवायी गयी थी। तदोपरांत म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय कार्यालय एवं मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर क्षेत्र) द्वारा विवेचनाधीन प्रकरण में थाना प्रभारी, थाना विश्वविद्यालय एवं पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को आवश्यक एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु विभिन्न पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया है। साथ ही विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 17/05/2024 एवं पत्र दिनांक 21/05/2024 के द्वारा क्रमश: सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग तथा पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को प्रकरण में आवश्यक एवं शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है। वर्तमान में भी प्रकरण	

					थाना विश्वविद्यालय, जिला ग्वालियर में विवेचनाधीन है। प्रकरण में दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्री मनोज कुमार (के.पी.ओ.) के विरूद्ध थाना विश्वविद्यालय, जिला ग्वालियर में प्रकरण विवेचनाधीन है, जिसमें विभाग/कंपनी स्तर से कोई अन्य कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **विभागीय जानकारी दिनांक 30/09/2024**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	**488**	अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्रं.1740) दिनांक: 18/07/2019 (श्री मुन्नालाल गोयल,)	प्रदेश की म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में आउटसोर्स (ठेका) श्रमिकों की समस्याओं के वैधानिक परिधि में निराकरण किया जाना।	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के द्वारा आऊटसोर्सिंग (ठेको) श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित समिति द्वारा प्रदत्त अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 24.08.2019 द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को निर्देशित कर दिया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 25/11/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	**489**	अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.2834) दिनांक: 18/07/2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ),)	गुढ विधान सभा क्षेत्र में सौभाग्य योजनान्तर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मरों की क्षमता व संबंधित ठेकेदारों को किए गए भुगतान की जांच व जांच निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही किया जाना।	जांच निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात् तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।	रीवा जिले के गुढ विधानसभा क्षेत्र में सौभाग्य योजनान्तर्गत माह फरवरी 2019 तक 25 के.व्ही. क्षमता के 55 वितरण ट्रांसफार्मर योजना के प्रावधानों एवं निर्देशानुसार लगाये गये है तथा नियमानुसार संबंधित ठेकेदारों का भुगतान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 319 दिनांक 14.06.2019 द्वारा मुख्य अभियंता (रीवा क्षेत्र) रीवा को सौभाग्य योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिये गये कनेक्शनों की जांच हेतु लेख किया है, जिसके संबंध में मुख्य अभियंता (रीवा क्षेत्र) रीवा के आदेश दिनांक 06.07.2019 द्वारा जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन के संबंध में पत्र दिनांक 17.10.2019 से लेख किया गया है कि गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा सौभाग्य योजनान्तर्गत दिये गये विद्युत कनेक्शनों की सूची में शामिल उभोक्ताओं का स्थल निरीक्षण किया गया। माननीय विधायक महोदय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 319 दिनांक 14.06.2019 के साथ प्रेषित 82 उपभोक्ताओं में से मात्र 16 उपभोक्ताओं के यहां विद्युत संयोजन पाया गया एवं शेष 66 प्रकरणों में विद्युत संयोजन नहीं पाया गया। उक्त उपभोक्ताओं के संयोजन हेतु ठेकेदार द्वारा कोई सामग्री नहीं लगाई गई है और न ही ठेकेदार को कोई भुगतान किया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	**490**	अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.2912) दिनांक: 18/07/2019 (श्री रामकिशोर कावरे,)	(1) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्र. 221, दिनांक 22.02.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं / तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन से माननीय विधायक को अवगत कराया जाना । (2) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्र. 383, दिनांक 10.06.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं / तथ्यों की जांच कराई जाना ।	(1) परीक्षण से संबंधित जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं परीक्षण उपरांत जाँच प्रतिवेदन से माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को अवगत कराया जाएगा। (2) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के पत्र क्र. 221, दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित बिन्दुओं/तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन से माननीय विधायक महोदय को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 26.11.2019 द्वारा अवगत करा दिया गया है। 2. मुख्य महाप्रबंधक (क्षे.का.), म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1435 दिनॉंक 22.10.2019 से माननीय विधायक महोदय को प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत करा दिया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	491	अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.2953) दिनांक: 18/07/2019 (श्री प्रवीण पाठक,)	ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग में म. प्र. म. क्षे. वि. वि. कं. लि. द्वारा बढ़ी दरों पर सीमेंट पोलों की आपूर्ति की डी.आई. की समय-सीमा बढ़ाए जाने से हुई आर्थिक हानि की जांच कराई जाना ।	आर्थिक हानि की जांच प्रक्रियाधीन है ।	प्रकरण में तत्कालीन महाप्रबंधक (संचा.संधा.) वृत ग्वालियर (चालू प्रभार) श्री विनोद कटारे को मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर के कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका प्रति उत्तर म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को प्राप्त हो चुका है। परीक्षणोपरांत आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019</u>** **<u>अद्यतन</u>** प्रकरण में तत्कालीन महाप्रबंधक (संचा.संधा.) वृत ग्वालियर (चालू प्रभार) श्री विनोद कटारे को मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर द्वारा दिनांक 15.06.2019 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका प्रति उत्तर दिनांक 01.07.2019 को मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर क्षेत्र) को प्राप्त हुआ। मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर क्षेत्र) द्वारा दिनांक 21.11.2019 को प्रकरण मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2019 से मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर क्षेत्र) ग्वालियर से प्रकरण में बिन्दुवार स्पष्ट अभिमत/टीप चाही गई थी, जो कि दिनांक 20.02.2020 को प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त टीप पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा पुन: मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर क्षेत्र से स्पष्ट अभिमत चाहा गया, जो उनके पत्र दिनांक 08.06.2020 से प्राप्त हुआ । प्रतिवेदन का परीक्षण कार्पोरेट कार्यालय में गठित शिकायत शाखा जांच समिति द्वारा किया गया। समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में प्रथम	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					दृष्टया दोषी अधिकारी श्री विनोद कटारे, महाप्रबंधक (चालू प्रभार) को कार्पोरेट कार्यालय के पत्र क्रमांक-900 दिनांक 17.05.2021 से आरोप पत्र जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 17/06/2021</u>** **<u>अद्यतन</u>** प्रकरण में म.प्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा श्री विनोद कटारे, तत्कालीन महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त ग्वालियर (चालू प्रभार) को दिनांक 17.05.2021 को आरोप पत्र जारी किया गया था एवं म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दिनांक 24.10.2021 से जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गये थे । उक्त विभागीय जांच के तारतम्य में श्री विनोद कटारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक-24938 दायर की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2021 के परिपालन में म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सकारण आदेश दिनांक 01.09.2022 (Speaking order) जारी करते हुए श्री विनोद कटारे को अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। श्री विनोद कटारे द्वारा पुन: माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका दायर की गई । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2023 एवं आदेश दिनांक 18.05.2023 के परिपालन में म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सकारण आदेश दिनांक 02.08.2023 (Speaking order) जारी किया गया। उक्त सकारण आदेश के विरूद्ध श्री विनोद कटारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक-20810/2023 दायर की गई है, जो कि माननीय	

					उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 21/09/2023</u>**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	492	अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.3071) दिनांक: 18/07/2019 (श्री अरविंद सिंह भदौरिया,)	(1) भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में व्यावसायिक कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित कर अनियमित लाभ पहुंचाने के दोषी संबंधित अधिकारी /कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में 46 अपात्र उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना 2010 का लाभ पहुंचाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। (2) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव सहायक प्रबंधक के विरूद्ध उप महाप्रबंधक(संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड के पत्र दिनांक 21.06.2019 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें कंपनी को हुई हानि रू. 152853/- की वसूली उनके वेतन से किये जाने एवं उनकी आगामी 02 वार्षिक वेतन वृद्धियां 02 वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोकी जाना प्रस्तावित की गई थी। श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त उत्तर के परीक्षणोंपरान्त उप महाप्रबंधक (संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2019 से परिनिंदा की गयी है। प्रकरण में संबंधित उपभोक्ता द्वारा बिल की कुल राशि रू. 152853/- के विरूद्ध क्रमशः रसीद क्र. 130729/5 दिनांक 13.09.2019 से राशि 80000/- एवं रसीद क्र. 130729/6 दिनांक 15.09.2019 से राशि 20000/- एवं रसीद क्र. 130729/9 दिनांक 15.09.2019 से राशि 53000/-, इस प्रकार कुल राशि रूपये 1,53,000/- जमा करा दी गयी है। 1.श्री डी.पी. अहिरवार, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 20.07.19 से उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध प्राप्त प्रति उत्तर के परीक्षणोपरांत म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दिनांक 23.10.2019 से उन्हें दोषमुक्त किया गया है। 2.श्री ओ.पी. गुप्ता, महाप्रबंधक (स्था.) कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को पत्र दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं.

					20.07.19 से उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रति उत्तर प्राप्त किया गया है । परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । 3.श्री राजीव कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (चालू प्रभार) (शहर-वृत्त) ग्वालियर, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 20.07.19 से उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रति उत्तर प्राप्त किया गया है । परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । 4. श्री संघर्ष पाराशर, सहायक प्रबंधक, वितरण केन्द्र ऐतहार को उप महाप्रबंधक(संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र दिनांक 27.03.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जिसमें कंपनी को हुई हानि राशि रू. 248405/- की वसूली उनके वेतन से किये जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असचंयी प्रभाव से 02 वर्ष के लिये रोकी जाना प्रस्तावित की गई है। जबाव प्राप्त न होने पर उप महाप्रबंधक (संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड के आदेश दिनांक 20.07.2019 से श्री संघर्ष पाराशर को निलंबित किया गया एवं पत्र दिनांक 02.09.2019 के माध्यम से आरोप पत्र जारी किया गया है। आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 5. श्री आलोक सिंह बघेल, सहायक प्रबंधक, फूप के द्वारा 01 नं0 प्रकरण में गलत लाभ देने के लिये उप महाप्रबंधक (संचा.संधा.)संभाग, भिण्ड के द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2019 से कंपनी को हुई हानि	

					की राशि रूपये 158068/- को 36 समान किस्तों में उनके वेतन से काटे जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई है। 6. श्री विशाल मालवीय, सहायक प्रबंधक भिण्ड ग्रामीण के द्वारा 25 नं0 प्रकरणों में गलत लाभ देने के लिये उप महाप्रबंधक (संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड के द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2019 से कंपनी को हुई हानि की राशि रूपये 2434786/- को 240 समान किस्तों में उनके वेतन से काटे जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। 7. श्री के.एल. सूर्यवंशी, सहायक प्रबंधक अटेर के द्वारा 03 नं0 प्रकरण में गलत लाभ देने के लिये उप महाप्रबंधक(संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड के द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें कंपनी को हुई हानि 63490/- की वसूली उनके वेतन से किये जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि 02 वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोकी जाना प्रस्तावित की गई थी उत्तर प्राप्त होने के बाद परीक्षणोंपरान्त उप महाप्रबंधक (संचा.संधा.) संभाग, भिण्ड के द्वारा आदेश दिनांक 17.07.2019 से परिनिंदा की गई है। 8. श्री सी.एल. साकोम, सहायक प्रबंधक मेहगांव के द्वारा 01 नं0 प्रकरण में गलत लाभ देने के लिये महाप्रबंधक (संचा.संधा.) भिण्ड वृत्त के द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें कंपनी को हुई हानि 200463/- की वसूली उनके वेतन से किये जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि 02 वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोकी जाना प्रस्तावित	

					की गई थी उत्तर प्राप्त होने के बाद परीक्षणोंपरान्त महाप्रबंधक (संचा.संधा.) भिण्ड वृत्त के द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2019 से कंपनी को हुई हानि रूपये 200463/- की वसूली उनके वेतन से 12 किस्तो में काटे जाने एवं 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।	
					9. श्री गोपाल धर दुबे, सहायक प्रबंधक गोरमी वि.के. के द्वारा 01 नं0 प्रकरण में गलत लाभ देने के लिये महाप्रबंधक(संचा.संधा.) भिण्ड वृत्त के द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें कंपनी को हुई हानि 71812/- की वसूली उनके वेतन से किये जाने एवं उनकी आगामी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि 02 वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोकी जाना प्रस्तावित की गई थी, उत्तर प्राप्त होने के बाद परीक्षणोंपरान्त महाप्रबंधक(संचा.संधा.) भिण्ड वृत्त के द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2019 से कंपनी को हुई हानि रूपये 71812/- की वसूली वेतन से 10 समान किस्तो में उनके वेतन काटे जाने एवं उनकी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए रोके जाने का आदेश पारित किया गया है।	
					10. श्री शैलेन्द्र पटले, प्रबंधक मुरैना के विरूद्ध 04 नं0 प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर के द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका प्रति उत्तर प्राप्त किया गया। परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
					11. श्री राहुल चौधरी, प्रबंधक मुरैना शहर के विरूद्ध 01 नं0 प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक	

					(ग्वा.क्षे.) ग्वालियर के द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया। परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । 12. श्री विकास गुप्ता, प्रबंधक मुरैना के विरूद्ध 06 नं0 प्रकरणो में मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर के द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उत्तर प्राप्त होने के बाद परीक्षणोंपरान्त आदेश दिनांक 16.11.19 के माध्यम से उनकी आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिये रोकी गई है। 13. रूचिका दण्डोतिया, प्रबंधक कम्पू जोन ग्वालियर के विरूद्ध 01 नं0 प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर के द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2019 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होने के बाद परीक्षणोंपरान्त आदेश दिनांक 25.10.19 से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिये रोकी गई। **विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	622	मांग संख्या (क्रमांक 12) दिनांक: 20/07/2019 (श्री राजेन्द्र शुक्ल, श्री पारस चन्द्र जैन, श्री अजय विश्नोई, श्री प्रवीण पाठक, श्री ओमप्रकाश सखलेचा, श्री संजीव सिंह, श्री कुणाल चौधरी,)	(1) इंदिरा गृह ज्योति योजना में संबल योजना की त्रुटियों को ठीक किया जाना । (2) विद्युत ट्रांसफार्मर जिन स्थानों में लगे है, लेकिन मीटर नहीं लगे है, वहां पर मीटर लगाया जाना । (3) बिजली संबंधी सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन करने हेतु एक समिति बनाई जाना तथा समिति के सुझाव लागू किया जाना । (4) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल में अमरकंटक विद्युत गृह चचई में 660 मेगावाट की एक-एक नई इकाई लगाई जाना । (5) विद्युत विभाग के आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना तथा आऊट सोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाना ।	(1) संबल योजनाओं की त्रुटियां हमारी इस इंदिरा गृह ज्योति योजना को प्रभावित कर रही है और इसके लिए हम जल्दी ही निर्णय लेंगे, इसको संबल से बाहर निकालेंगे । (2) मीटर लगाने का काम आने वाले समय में करेंगे । (3) समिति के सुझाव भी लागू करेंगे । (4) एक-एक इकाई नयी लगाई जायेगी । (5) एक कमेटी का गठन किया है ।	संबल योजना में बिना सत्यापन हितग्राही बनाये गये थे, जिन्हें 200 रूपये में असीमित बिजली की खपत की सुविधा थी। दिनांक 19.08.2019 को राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार इंदिरा गृह ज्योति योजना में त्रुटियों को दूर करते हुये सिर्फ संबल हितग्राही नहीं बल्कि 150 यूनिट तक मासिक खपत वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली की सुविधा दी गई है। इससे माह अक्टूबर में कम विद्युत खपत वाले गरीब व मध्यम वर्ग के 1 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हुये हैं और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। इंदिरा गृह ज्योति योजना को संबल योजना से असम्बद्ध कर दिया गया है। लगभग 2.47 लाख मीटरों को लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। समिति का गठन कर दिया गया है एवं समिति के सुझाव "मानक निविदा दस्तावेज" के माध्यम से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में लागू कर दिये गये हैं। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कमेटी की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। अनुशंसाओं का समावेश आगामी आऊटसोर्सिंग की निविदा शर्तों में किया जाएगा। **विभागीय जानकारी दिनांक 07/12/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	129	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.106) दिनांक: 09/07/2019 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,)	रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल परिसर में टेक्सटाईल गारमेन्ट पार्क की स्थापना की स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ किया जाना ।	(1) परियोजना क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रण एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् कार्य प्रारंभ हो सकेगा।	(1) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्र. एफ 16-30/2018/बी-ग्यारह, दिनांक 05/07/19 के द्वारा टेक्सटाईल पार्क जावरा जिला रतलाम विकसित करने हेतु रू. 41.18 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। 2(अ) परियोजना से संबंधित डीपीआर माह दिसम्बर 2019 तक तैयार होगी। 2(ब) परिसर में लगभग 500 वृक्ष स्थित है, इन वृक्षों के कटाई की अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है. **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 23/11/2019</u>** **<u>अद्यतन</u>** 1. प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 05/07/2019 को जारी की गई है। 2. अभिन्यास का अनुमोदन दिनांक 03/10/2019 को किया गया है। 3. तकनीकि स्वीकृति दिनांक 10/12/2019 को जारी की गई है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 07/07/2020</u>** **<u>अद्यतन</u>** रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल परिसर में इण्डस्ट्रीयल पार्क (बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र – औद्योगिक पार्क) के लिये अधोसंरचना विकसित किय जाने हेतु राशि रू. 41.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई । क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 21/01/2022</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	131	अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्रं.430) दिनांक: 09/07/2019 (इन्जी. प्रदीप लारिया,)	प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित कर प्रशिक्षण तथा रोजगार दी जाना ।	नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 90 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा।	नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-8/2019/18-2, दिनांक 09 फरवरी 2019 के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 90 दिन का प्रशिक्षण प्रदान कर नगरीय निकायों में एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। योजना अन्तर्गत बेरोज़गारों को अधिकतम 4000 रूपये प्रतिमाह के मान से स्टाइपेंड दिये जाने के प्रावधान हैं। **विभागीय जानकारी दिनांक 25/10/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**132**	अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.614) दिनांक: 09/07/2019 (श्री राज्यवर्धन सिंह,)	(1) राजगढ़ जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहगढ़ में औजार एवं उपकरणों की व्यवस्था की जाना । (2) स्थायी अमले के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	(1) शेष औजार एवं उपकरणों की पूर्ति, आगामी सत्र के पहले पूर्ण कर ली जायेगी। (2) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	1. औजार एवं उपकरण-शेष औजार एवं उपकरणों की पूर्ति हेतु क्रय आदेश जारी किये जा चुके है । 50 प्रतिशत सामग्री प्राप्त हो चुकी है, शेष सामग्री भी यथाशीघ्र प्राप्त होना संभावित है । 2. स्थायी अमले के रिक्त पदों (डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमेन मैकेनिक एवं गणित ड्राईंग) की पूर्ति हेतु शासन के नवीन निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत, ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण 10 प्रतिशत, आयु सीमा निर्धारण संविदा आरक्षण एवं दिव्यांगजन पदों का चिन्हांकन किये जाने के फलस्वरूप नवीन मांग पत्र तैयार कर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के माध्यम से विज्ञापन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय जानकारी दिनांक 18/12/2019** **अद्यतन** स्थायी अमले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) को कौशल विकास संचालनालय पत्र क्रमांक-527, दिनांक 15.02.2022 द्वारा मांग पत्र तैयार कर भेजा गया. **विभागीय जानकारी दिनांक 06/04/2022** **अद्यतन** औजार एवं उपकरण-शेष सामग्री की पूर्ति कर ली गई है । स्थायी अमले की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से परीक्षण उपरांत जिला राजगढ़ में पदस्थ किये गये कर्मचारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** **विभागीय जानकारी दिनांक 09/10/2024**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	348	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.2358) दिनांक: 16/07/2019 (श्री राम लल्लू वैश्य,)	जिला सिंगरौली अंतर्गत इंजीनियरिंग माइनिंग कॉलेज खोला जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।	शासन आदेश क्रमांक एफ-5-2/2013/42-1, दिनांक 10.05.2022 द्वारा जिला मुख्यालय सिंगरौली में नवीन खनन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापन संबंधी आदेश जारी किये गये है। **विभागीय जानकारी दिनांक 02/06/2022**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	349	अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.1609) दिनांक: 16/07/2019 (श्री महेन्द्र हार्डिया,)	जिला इंदौर के वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच किया जाना।	जांच कार्यवाही प्रचलित है।	जॉच की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण में निकाय के द्वारा प्राचार्य के चयन में अपनायी गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं है। **विभागीय जानकारी दिनांक 29/11/2024**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	**350**	अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.2225) दिनांक: 16/07/2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ),)	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या विकास योजना व युवा स्वाभिमान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली सहित राज्य के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर हुई अनियमितता की जांच, गठित जांच समिति द्वारा की जाना ।	जांच प्रचलन में है ।	प्रकरण में जॉंच पूर्ण हो चुकी है। जॉंच उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:- 1. Facillation and Awareness of Community for Empowerment face Society द्वारा संचालित किया गया प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उसे मान्य किया जाएगा, जो असेसमेंट/रीअसेसेमेंट अभी नहीं हुए हैं उन्हें प्रशिक्षणार्थियों के हित में पूरा किया जायेगा। 2. शिकायत के परिप्रेक्ष्य में फेस सोसायटी के 536 अभ्यर्थियों का प्रस्तावित प्रशिक्षण रोक दिया गया तथा वर्ष 2019-2020 में मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन योजना व युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत 690 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के आवंटित लक्ष्य पर भी रोक लगा दी गई थी। इसे अंतिम रूप में यथावत रखा जाना प्रस्तावित किया है। 3. अद्यतन स्थिति में फेस सोसायटी के लंबित देयको की राशि रूपये 1067508.00 है। कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1256 है जिनमें से 735 प्रशिक्षणार्थियों का सर्टिफिकेशन हुआ है, अर्थात अभी भी फेस सोसायटी को भविष्य में राशि देय होगी। बोर्ड द्वारा इस राशि के भुगतान के पूर्व प्रत्येक शिकायत पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा तथा तर्कसंगत पाए जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय जानकारी दिनांक 06/07/2020**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	713	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.2614) दिनांक: 23/07/2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा,)	होशंगाबाद जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने हेतु राशि स्वीकृत की जाना ।	प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति 2.14 करोड़ रूपये की लगेगी । दो महीने में इसको कम्पलीट करके आने वाले सत्र में हम यह चारों पाठ्यक्रम स्टार्ट कर देंगे ।	विभागीय आदेश क्रमांक-एफ-5-2/2021/42-1 दिनांक 04/08/2023 के द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद में चार नवीन पाठ्यक्रमों यथा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को प्रवेश वर्ष 2024-25 से संचालन हेतु 33 शैक्षणिक पद एवं 35 गैर शिक्षकीय एवं सहायक अमले के पद कुल 68 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं अपेक्षित आवर्ती व्यय रूपये 1068.08 लाख एवं अनावर्ती व्यय रूपये 801.26 लाख कुल राशि रूपये 1869.34 लाख के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई है . **विभागीय जानकारी दिनांक 02/04/2024**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	714	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1415) दिनांक: 23/07/2019 (श्री शैलेन्द्र जैन,)	सागर जिले में स्थित आई.टी.आई. को मॉडल आई.टी.आई के रूप में उन्नयन कर भवन निर्माण कार्य सहित परियोजना का संपूर्ण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाना।	निर्माण कार्य प्रारंभ है।	परियोजना के आई.टी.आई. सागर में भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 267639639 का कार्यादेश जारी किया गया है, निर्माण कार्य प्रारंभ है। भवन के कार्य को पूर्ण करने की तिथि 20.09.2020 निर्धारित है। निमार्ण कार्य प्रारंभ है। **विभागीय जानकारी दिनांक 18/12/2019** **अद्यतन** मॉडल आईटीआई के निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं भवन संस्था को सौंपा जा चुका है। निर्मित भवन में कक्षाऐं संचालित है एवं वर्कशॉप में मशीनें स्थापित की जा चुकी. **विभागीय जानकारी दिनांक | 22/05/2024**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**715**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.2470) दिनांक: 23/07/2019 (श्री रामकिशोर कावरे,)	बालाघाट जिले में कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पॉलिटेक्निक योजना द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को देय मानदेय का भुगतान न होना।	स्वीकृति उपरांत राशि कॉलेज को उपलब्ध करायी जायेगी।	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बालाघाट को संचालक की स्वीकृति क्रमांक 229, दिनांक 07/08/2019 द्वारा राशि रूपये 5.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। **विभागीय जानकारी दिनांक 11/06/2020** **अद्यतन** शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय बालाघाट जिले में स्वीकृत उपरांत कर्मचारियों के मानदेय राशि रूपये 509810.00/- का भुगतान किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न) **विभागीय जानकारी दिनांक 09/11/2021**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	**716**	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.3411) दिनांक: 23/07/2019 (श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी,)	तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा क्रय इंग्लिश लैंग्वेज साफ्टवेयर का नवीनीकरण किया जाना।	सॉफ्टवेयर का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।	इंग्लिश लैंग्वेज साफ्टवेयर के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जिसकी जानकारी 'परिशिष्ट-एक में संलग्न है। **विभागीय जानकारी दिनांक 11/03/2020**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

नर्मदा घाटी विकास विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	324	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.48) दिनांक: 15/07/2019 (श्री सुशील कुमार तिवारी,)	विधान सभा क्षेत्र पनागर में वॉटर फोर्स फील्ड चैनल के निर्माण हेतु राशि का आवंटन कराया जाना।	राशि के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दिनांक 18.11.2019 को आवंटन जारी किया गया है। **विभागीय जानकारी दिनांक 11/12/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	684	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.657) दिनांक: 22/07/2019 (श्री रामपाल सिंह,)	नरसिंहपुर जिले में स्वीकृत चिन्की परियोजना से लाभान्वित जिले एवं ग्रामों में एजेन्सियों द्वारा शर्तो के अनुसार कार्य कराया जाना।	अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।	चिन्की परियोजना का स्वरूप बदलकर परियोजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। डी.पी.आर. के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही कर एजेंसी निर्धारित होने के पश्चात अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। **विभागीय जानकारी दिनांक 23/11/2019** **अद्यतन** पूर्व प्रस्तावित चिंकी माईक्रो सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित कर चिंकी-बौरास बैराज संयुक्त सिंचाई योजना प्रस्तावित की गई है। योजना से नरसिंहपुर, रायसेन एवं होशंगाबाद जिले की 1,31,925 हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2 बैराज का निर्माण भी प्रस्तावित है जिनमें 50 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जावेगा। परियोजना हेतु दिनांक 05/02/2020 को रूपये 4452.82 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय जानकारी दिनांक 20/05/2020** **अद्यतन** नरसिंहपुर जिले की चिंकी–बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु एजेंसी का निर्धारण किया जाकर अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। **विभागीय जानकारी दिनांक 31/01/2022**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	**685**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.2474) दिनांक: 22/07/2019 (श्री ठाकुर दास नागवंशी,)	(1) दूधी सिंचाई परियोजना का कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने में विलम्ब । (2) निविदायें आमंत्रित किये जाने में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना ।	(1) तकनीकी बिन्दुओं का निराकरण प्रक्रियाधीन है । (2) तकनीकी बिन्दुओं के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	दूधी परियोजना की प्री-फिजीबिलिटी केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत है। पूर्व प्रस्तावित बांध स्थल पर बांध के Foundation में उपयुक्त Strata नहीं पाये जाने पर अतिरिक्त बोरहोल कराये जाने की आवश्यकता के परिपालन में बोरहोल कराये जाने के लिये एजेंसी का निर्धारण कर अनुबंध दिनांक 24/10/2019 को किया गया है। बांध स्थल पर वन भूमि प्रभावित होने के कारण वन मंडल अधिकारी होशंगाबाद को दिनांक 24/10/2019 को पत्र लिखकर कार्य करने की अनुमति चाही गई है। ड्रिलिंग कार्य के उपरांत प्राप्त जानकारी के अनुसार डी.पी.आर. में आवश्यक प्रावधान किये जाकर प्रशासकीय स्वीकृति / निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। **विभागीय जानकारी दिनांक 23/11/2019** **अद्यतन** दूधी परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05/02/2020 को रूपये 2185.10 करोड़ की जारी की जा चुकी है। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय जानकारी दिनांक 15/12/2020** **अद्यतन** दूधी परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 6/5/2022 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा आमंत्रण में विलंब प्रक्रियात्मक है। **विभागीय जानकारी दिनांक 09/09/2022**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	686	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्रं.3505) दिनांक: 22/07/2019 (डॉ. हिरालाल अलावा,)	सरदार सरोवर डूब क्षेत्र के पुर्नवास प्राप्त परिवारों के विस्थापन एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं की जानकारी प्राप्त की जाना।	न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।	माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्वास से जुड़े 12 प्रकरणों में एस.एल.पी. दायर की गई है, जिसमें शासन के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। 2. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पुनर्वास से जुड़े 14 प्रकरणों में विभाग के विरूद्ध निर्णय पारित किये गये हैं, जिनके विरूद्ध रिव्यू पिटीशन / रिट अपील दायर की गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय जानकारी दिनांक 10/12/2019**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	687	अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.2570) दिनांक: 22/07/2019 (श्री रघुनाथ सिंह मालवीय,)	नर्मदा-पार्वती लिंक योजना कार्य पूर्ण कराया जाना।	कार्य प्रगति पर है।	माह अक्टूबर 2019 तक 22.41 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना के पूर्ण होने की तिथि 06/05/2022 लक्षित है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 18/11/2019</u>** <u>अद्यतन</u> नर्मदा-पार्वती लिंक योजना फेस-I एवं II का 33.72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पूर्ण होने की तिथि 06/05/2022 लक्षित है। नर्मदा पार्वती लिंक योजना फेस- III एवं IV योजना के निर्माण हेतु दिनांक 14/02/2020 को सपांदित हुआ है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 20/05/2020</u>** <u>अद्यतन</u> नर्मदा पार्वती लिंक योजना फेस-I एवं II का कार्य प्रगति पर है एवं अभी तक 56.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण होने की तिथि 06.05.2022 है। नर्मदा पार्वती लिंक योजना फेस-III एवं IV का कार्य अभी तक 1 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण होने की तिथि 13.02.2024 लक्षित है। **<u>विभागीय जानकारी दिनांक 01/02/2022</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं.**

जुलाई, 2019 सत्र

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**240**	अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.822) दिनांक: 11/07/2019 (श्री इन्दर सिंह परमार,)	उज्जैन संभाग एवं शाजापुर जिले में वर्ष 2016-17में हितग्राही किसानों को सोलर पंप का प्रदाय किया जाना।	राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर उनके खेतों में सोलर पम्प की स्थापना कर दी जाएगी।	उज्जैन संभाग एंव शाजापुर जिले में, वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा दिसंबर 2017 तक के सभी आवेदक हितग्राही किसानों के स्थल पर, सोलर पम्प की स्थापना शासन से प्राप्त तत्सम्य की स्वीकृति के अनुसार की जा चुकी थी। भारत सरकार से कुसुम योजनांतर्गत माह दिसम्बर 2019 में सोलर पम्प संयंत्रों की मानकीकृत दरे एवं सूचीबद्ध इकाईयों सहित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई। म.प्र. शासन की मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना माह फरवरी 2020 में स्वीकृत हुई। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजनांतर्गत इच्छुक किसानों द्वारा आवेदन किया जाना व आवेदनों के विरूद्ध नियमानुसार, शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप, कार्यवाही करते हुए सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना किया जाना सतत् प्रक्रिया हैं। माह मार्च, अप्रैल, मई 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण कार्य में बाधा रही। वर्तमान में, मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजनांतर्गत, उज्जैन संभाग एवं शाजापुर जिले के लंबित प्रकरणों (पूर्ण हितग्राही अंश जमा) का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाकर, संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यादेश दिनांक 22.05.2020 एवं 25.05.2020 को जारी किये जा चुकें हैं। **विभागीय जानकारी दिनांक 11/12/2020** **अद्यतन** उज्जैन संभाग एवं शाजापुर जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा दिसंबर 2017 तक के सभी आवेदक हितग्राही किसानों के स्थल पर सोलर पंप की	**कोई टिप्पणी नहीं.**

					स्थापना शासन से प्राप्त तत्समय की स्वीकृति के अनुसार की जा चुकी थी। भारत सरकार से कुसुम योजनांतर्गत माह दिसंबर 2019 में सोलर पंप संयंत्रों की मानकीकृत दरे एवं सूचीबद्ध ईकाईयो सहित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई है। म.प्र.शासन की मुख्मंत्री सोलर पंप योजना माह फरवरी 2020 में स्वीकृत हुई । मुख्यमंत्री सोलर पंप योजनातंर्गत इच्छुक किसानों द्वारा आवेदन दिया जाना व आवेदनों के विरूद्ध नियमानुसार शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप कार्यवाही करते हुए सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना किया जाना सतत प्रक्रिया है। योजनांतर्गत शासन से जैसे-जैसे राशि प्राप्त होती है, तदनुसार सोलर पंप की स्थापना का कार्य किया जाता है। माह मार्च, अप्रैल,मई 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण कार्य में बाधा रही। वर्ष 2016-17 के समस्त हितग्राहियों के सोलर पंप जिसमें उज्जैन संभाग एवं शाजापुर जिले के हितग्राही सम्मलित है, के यहां सोलर पंप स्थापित हो चुके है । उज्जैन संभाग एवं शाजापुर जिले में वर्ष 2016-17 के हितग्राही किसानों के यहां सोलर पंप की स्थापना की जा चुकी है। **विभागीय जानकारी दिनांक 10/06/2022**	

स्थान : भोपाल

दिनांक : **17.03.2025**

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति